

कैम्प चिलेश्वर

पीठारसीन अधिकारी:-रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 255/2017 प्रार्थना पत्र

1. श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री दुले सिंह राजपुत निवासी चिलेश्वर तह. करेडा
2. श्रीमती सूरज कँवर पत्नी श्री रघुनाथ सिंह राजपुत निवासी चिलेश्वर तह. करेडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. किरण सिंह पुत्र जालम सिंह राजपुत निवासी चिलेश्वर तह. करेडा
2. प्रवीण सिंह पुत्र जालम सिंह राजपुत निवासी चिलेश्वर तह. करेडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेडा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अंतर्गत धारा 251-ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित:-

- 1- श्री राजेश तिवाड़ी
- 2- श्री ताराचंद जैन

-

-

अधिवक्ता-प्रार्थी

अधिवक्ता-विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक:- 07.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरुद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।


पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर चिलेश्वर पर पेश हुई। तहसीलदार करेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 1159 में आने-जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 111, 1162 व 1160 के दक्षिणी मेड पर बने रास्ते का उपयोग करना बताया जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं होकर वहाँ एक कुँआ व कमरा बना हुआ है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहा रास्ता अधिक दूरी का है जबकि अन्य वैकल्पिक मार्ग प्रार्थीगणों की आराजियात की उत्तरी सीमा पर सरकारी रास्ता आ.नं. 110 गै.मु. रास्ता दर्ज रेकार्ड है से कम दूरी का है। पत्रावली के अवलोकन तथा तहसीलदार करेडा के मौका रिपोर्ट पर चिंतन एव मनन किया प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से अन्य वैकल्पिक मार्ग छोटा होने से प्रार्थी का प्रार्थनपत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव

आदेश

तहसीलदार करेडा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार अन्य वैकल्पिक मार्ग छोटा व उचित होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2018 को विवृत कैम्प स्थल पर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा